रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273075
CG-DL-E-02062026-273075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2562] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948
No. 2562] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 2654(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना का, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित रूप से, उससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे लिखित रूप में, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है, या मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के त्रिशूर जिले के चालक्कुडी तालुक (पूर्व में मुकुंदपुरम तालुक के नाम से जाना जाता था) में स्थित है। यह 114.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 10°29'5.9892" उत्तर से 10°22'5.7072" उत्तर अक्षांशों और 76°24'56.754" पूर्व से 76°33'38.6424" पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है।

और, चालकुडी वन प्रभाग के पलाप्पिल्ली मण्डल में स्थित कोडस्सेरी रिजर्व से चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य का गठन जी.ओ. (पी) संख्या 259/84/एडी, तारीख 25.08.1984 के अधीन किया गया था। यह अभयारण्य 53 प्रजातियों के स्तनधारियों, 182 प्रजातियों के पक्षियों, 46 प्रजातियों के सरीसृपों, 38 प्रजातियों के उभयचरों, 31 प्रजातियों की मछलियों और अकशेरुकी प्रजातियों जैसे तितलियों (24 प्रजातियां), ओडोनेट (56 प्रजातियां) आदि का निवास स्थान है।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में पाली (*पैलाक्वियम एलिप्टिकम*), नांगु (*मेसुआ फेरिया*), वेडिप्लवु (*कुलेनिया एक्सारिलाटा*), कालपिन (*डिप्टरोकार्पस इंडिकस*), कम्बकम (*होपिया परविफ्लोरा*), वेल्लाकिल (*डायसॉक्सिलम मालाबारिकम*), वेट्टी (*अपोरोसा लिंडलेयाना*), थेली (*कैनेरियम स्ट्रिक्टम*), नासाकम (*मेलिकोप लूनु-एंकेंडा*), कुरंगुमंजल (*मैलोटस फिलिपेंसिस*), मंजाकादाम्बु (*हल्दीना कॉर्डिफोलिया*), एलावु (*बॉम्बैक्स सीइबा*), वेम्बू (*टूना सिलियेट*), नजावल (*साइजियम क्यूमिनी*), वेल्लीलावु (*लेगरस्ट्रोमिया माइक्रोकार्पा*), करुवा (*सिनामोमम ज़ेलेनिकम*), नासाकम (*मेलिकोप लुनुअनकेंडा*), चेन्कोली (*मैलोटस फ़िलिपेंसिस*), मारुथु (*टर्मिनलिया पैनिकुलेट*), करीमारुथु (*टर्मिनलिया टोमेंटोसा*), थान्नी (*टर्मिनलिया बेलिरिका*), चालवाका (*अल्बिज़िया प्रोसेरा*), पाला (*अल्स्टोनिया स्कॉलरिस*), वीटी (*डालबर्गिया लैटिफोलिया*), वेलिलावु (*लेगरस्ट्रोमिया माइक्रोकार्पा*), इरुल (*ज़ाइलिया ज़ाइलोकार्पा*), कैनी (*ब्रिडेलिया रेटुसा*), पेझु (*केरिया आर्बोरिया*), कन्निकोना (*कैसिया फिस्टुला*), पुन्ना (*डिलेनिया पेंटाग्यना*), और बांस (*बम्बूसा अरुंडिनेशिया*) सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में बाघ (*पैंथेरा टाइग्रिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइनस*), स्लॉथ भालू (*मेलर्सस उर्सिनस*), हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), सांभर हिरण (*रूसा यूनिकलर*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस*), बार्किंग डियर (*मंटियाकस मंटजैक*), माउस डियर (*मोशियोला इंडिका*), बोनट मैकाक (*मैकाका रेडिएट*), मालाबार जाइंट स्क्विरेल *(रतुफा इंडिका*), इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (*पेरोपस गिगेंटस*), जंगल कैट (*फेलिस चाउस*), एशियन पाम सिवेट (*पैराडॉक्सुरस हेर्मैफ्रोडिटस*), स्मॉल इंडियन सिवेट (*विवेरिकुला इंडिका*), गोल्डन जैकल *(कैनिस),* इनमें स्टैफिलोकोकस ऑरियस *(सु)* और जंगली सूअर (*सुस स्कोफा*) सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी जीवों में लिटिल कॉर्मोरेंट (*फैलाकोरोरेक्स नाइजर*), कैटल एग्रेट (*बुबुलकस आइबिस),* लिटिल ग्रीन हेरॉन (*बुलोराइड्स स्ट्रिएटस*), ओरिएंटल हनी-बज़र्ड (*पर्निस प्टिलोरिन्चस),* ब्राह्मणी चील *(हैलियास्टुर इंडस),* ब्लैक ईगल *(इक्टिनेटस मलैएंसिस),* ग्रे जंगलफाउल *(गैलस सोननेराटी),* रिवर टर्न *(स्टर्ना ऑरेंटिया*), एमराल्ड डोव *(चालकोफैप्स इंडिका),* स्पॉटेड डोव *(स्पिलोपेलिया चिनेंसिस),* माउंटेन इंपीरियल पिजन (*डुकुला बादिया),* रोज़-रिंग्ड पैराकीट (*सिटाकुला क्रामेरी),* पाइड क्रेस्टेड कुकू *(क्लैमेटर जैकोबिनस),* लार्ज हॉक-कुकू *(हाइरोकोक्सीक्स स्पार्वेरियोइड्स),* इंडियन कुकू *(कुकुलस माइक्रोप्टेरस*), एशियन कोएल (*यूडाइनामिस स्कोलोपेसस*), ब्राउन हॉक-उल्लू *(निनॉक्स स्कुटुलाटा),* अल्पाइन स्विफ्ट (*टैचीमार्पटिस मेल्बा*), स्मॉल ब्लू किंगफिशर (*एल्सेडो एथिस*), लेसर पाइड किंगफिशर (*सर्वाइल रुडिस*), क्रिमसन-थ्रोटेड बारबेट (*मेगालिमा रूब्रिकैपिलस*), रूफुओस वुडपेकर (*सेलियस) ब्रैच्यूरस*), कॉमन गोल्डन-समर्थित कठफोड़वा (*डिनोपियम जावेनेंस*), डस्की क्रैग-मार्टिन (*हिरुंडो कॉनकोलर*), येलो वैगटेल (*मोलासिला फ्लेवा*), स्कारलेट मिनिवेट (*पेरिक्रोकोटस फ्लेमियस*), ब्लैक-क्रेस्टेड बुलबुल (*पाइक्नोनोटस फ्लेविवेंट्रिस*), एशियन फेयरी-ब्लूबर्ड (*इरेना पुएला*), ओरिएंटल मैगपाई-रॉबिन (*कॉप्सिचस साउलारिस*), जंगल बैबलर (*टर्डोइड्स*

स्ट्रिएटा), ग्रीनिश लीफ-वार्बलर (*फाइलोस्कोपस ट्रोचिलोइड्स*), रस्टी-टेल्ड फ्लाईकैचर *(म्यूसिकापा रूफिकाउडा*), रेड-थ्रोटेड फ्लाईकैचर (*फिसेडुला पारवा*), ग्रेट टिट (*पारस मेजर*), इंडियन ट्रीपी (*डेन्ड्रोसिट्टा वैगाबुंडा*), और जंगल क्रो (*कॉर्वस मैक्रोराइन्चोस*), आदि कई अन्य पक्षियों के साथ सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख सरीसृपों में भारतीय काला कछुआ (*मेलानोचेलिस ट्रिजुगा*), त्रावणकोर कछुआ (*इंडोटेस्टुडो त्रावणकोरिका*), सामान्य हरी वन छिपकली *(कैलोट्स कैलोटेस*), दक्षिण भारतीय रॉक आगामा (*सैमोफिलस डोरसालिस*), कोललेगल ग्राउंड गेको (*साइर्टोडैक्टाइलस कोललेगलेंसिस*), सामान्य कील्ड स्किंक (*यूट्रोपिस कैरिनाटा*), स्पॉटेड सपल स्किंक (*लाइगोसोनिया पंक्टाटा*), बेडडोम की कैट स्किंक (*रिस्टेला बेडडोमी*), ब्राह्मणी वर्म स्नेक (*इंडोटीफ्लॉप्स ब्रामिनस*), इंडियन रॉक पाइथॉन (*पायथन मोलुरस*), कॉमन ट्रिंकेट स्नेक (*कोएलोग्नाथस हेलेना*), कॉमन कुकरी स्नेक (*ओलिगोडोन अर्नेंसिस*), कॉमन वुल्फ स्नेक (*लाइकोडोन ऑलिकस*), कॉमन इंडियन क्रेट (*बंगारस कैर्यूलस*), रसेल वाइपर (*दबोइया रसेली*), मालाबार पिट वाइपर (*ट्राइमेरेसुरस मालाबारिकस*), चेकर्ड कीलबैक (*फाउलिया पिस्केटर*), और कॉमन हंप-नोज़्ड पिट वाइपर (*हिपनेल हाइपनेल*) सम्मिलित हैं।

और जहाँ तक, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख उभयचरों में आम भारतीय टोड (*डट्राफ्रिनस मेलानोस्टिक्टस*), स्किटरिंग मेंढक (*यूफलिटिकस सायनोफ्लिक्टिस*), भारतीय बुलफ्रॉग (*हॉफलोबैट्राचस टाइगरिनस*), भारतीय बरोइंग मेंढक (*स्फेरोथेका ब्रेविसेप्स*), अलंकृत संकीर्ण मुंह वाला मेंढक (*माइक्रोहिला ऑर्नाटा*), बैंगनी मेंढक (*नासिकाबत्राचस सह्याद्रेंसिस*), फंगॉइड मेंढक (*हाइड्रोफाइलैक्स मालाबारिका*), अनामैलीस लीपिंग मेंढक (*इंडिराना ब्रैचिटार्सस*), सामान्य भारतीय वृक्ष मेंढक (*पॉलीपेडेट्स मैकुलेटस*), वाटर ड्रॉप मेंढक (*राओर्चेस्टेस नेरोस्टागोना*), मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक (*राकोफोरस मलाहारिकस*), वेरिएबल बुश मेंढक (*राओर्चेस्टेस एक्रोपरल्लागी*), द्विरंगी मेंढक (*क्लिनोटार्सस कर्टिप्स*), और डैरेल का कोरस मेंढक (*माइक्रोहाइला डैरेली*), और कई अन्य सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियों में कॉमन कार्प *(साइप्रिनस कैप्रियो कम्युनिस*), स्कारलेट बैंडेड (*पुंटिस एम्फीबियस*), जायंट डैनियो (*डैनियो एकिपिपिनैटस*), गुएन्थर लोच (*नेमाचिलस गुएन्थेरी*), ट्रायंगुलर बैंडेड (*नेमाचिलस ट्रायंगुलरिस*), डेंसन लोच (*नेमाचिलस डेनिसोनी*), मालाबार लोच (*लेपिडोसेफालस थर्मलिस*), स्ट्राइप्ड ड्वार्फ कैटफ़िश (*मिस्टस विटालस*), इंडियन बटर कैटफ़िश (*ओम्पोक बिमैकुलेटस ब्लोच*), स्टिंगिंग कैटफ़िश (*हेटेरोपन्यूस्टेस फॉसिलिटस ब्लोच*), और फ्रेश वाटर गारफ़िश (*ज़ेनेंटोडोन कैंसिला हैम*) आदि सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख तितलियों में प्लेन क्यूपिड *(लुथ्रोड्स पंडावा*), एंगल्ड पियरोट (*कैलेटा डेसीडिया),* कॉमन सेरुलियन (*जैमिड्स सेलेनो*), कॉमन हेज ब्लू (*एसीटोलेपिस पुष्पा*), कॉमन ब्लू बॉटल (*ग्राफियम सर्पेडन*), क्रिमसन रोज (*एट्रोफेन्यूरा हेक्टर*), कॉमन एमग्रेंट (*कैटोप्सिलिया पोमोना*), चेस्टनट स्ट्रीक्ड सेलर (*नेप्टिस जुम्बा*), ब्लू टाइगर (*तिरुमाला लिम्निायासी*), स्लेट फ्लैश (*रापाला मानेअ*), चेस्टनट एंगल (*ओडोंटोप्टिलम एंगुलाटा*), रेड हेलेन (*पैपिलियो हेलेनस*), मोटल्ड एमग्रेंट (*कैटोप्सिलिया पाइरेंथे)* और चॉकलेट पैंसी (*जूनोनिया इफिता),* इनके सिवाय कई अन्य भी सम्मिलित हैं।

और, चिम्मोनी जलाशय को घेरने वाले अभयारण्य के वन त्रिशूर जिले में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी प्रदान करके सर्वोच्च संरक्षण मूल्य प्राप्त करते हैं, इसलिए भावी पीढ़ियों के लिए अभयारण्य की रक्षा और विकास का यही मुख्य कारण है।

और, अभयारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से नेल्लियामपथी पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों पर स्थित चिम्मोनी घाटी के जंगलों से मिलकर बना है, जो 4705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अनामलाई-अनामडी संरक्षण इकाई की पारिस्थितिक निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह अभयारण्य राज्य के अनामडी हाथी अभ्यारण्य का हिस्सा है, जिसका कुल वन क्षेत्र 3728 वर्ग किलोमीटर है और हाथी घनत्व 0.20 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर दक्षिणी

पश्चिमी घाट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अभयारण्य में वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण शिक्षा की अपार संभावनाएं हैं।

और, पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है, और उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में आगे पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केरल राज्य में चिम्मोनी वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 0 (शून्य) से 7.5 किमी तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन(जिसे इसके बाद इस अधिसूचना में इसे पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाएँ** –(1) चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.5 किमी तक पारिस्थितिकी-संवेदी जोन होगा और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का क्षेत्रफल 102.73 वर्ग किमी है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	**संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दिशा (किमी में)**
उत्तर	0
पूर्व	0.2
दक्षिण पूर्व	0
दक्षिण	2.08 - 7.07
दक्षिण पश्चिम	0.5
पश्चिम	1.94 - 7.5

शून्य वन्यजीव अभ्यारण्य (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन) का औचित्य: उत्तर दिशा में, पीची-वाझानी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ सीमा साझा होने के कारण पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को शून्य रखा गया है। दक्षिण-पूर्वी दिशा में, परंबिकुलम बाघ अभ्यारण्य के साथ सीमा साझा होने के कारण पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को शून्य रखा गया है।

(2) चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-Ik** और **अनुलग्नक-Ikh** के रूप में संलग्न है।

(3) चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक-IIक, अनुलग्नक-IIख** और **अनुलग्नक-IIग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा के भौगोलिक निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-IIIक** और **अनुलग्नक-IIIख** के रूप में संलग्न है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

2 . **चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य** के **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि

के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, अनुरुप तैयार कि जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से कि जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) सिंचाई;

(viii) स्थानीय स्वशासन विभाग;

(ix) लोक निर्माण विभाग;

(x) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, वनों की कटाई से प्रभावित क्षेत्रों के पुर्नस्थापन, मौजूदा जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपाबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी मौजूदा पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें मौजूदा तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि निगरानी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के गैर कृषि उपयोह के रुपान्तरण को स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

(i) मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित प्रोन्नत क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन – (क)पारिस्थितिकी संवेदी जोनके भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग, केरल सरकार द्वारा पर्यावरण-पर्यटन आंचलिक महायोजना तैयार किया जाएगा।;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, होटलों और रिसॉर्ट्स का नया निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटल और रिसॉर्ट की स्थापना केवल पर्यटन आंचलिक महायोजना के अनुसार पर्यावरण पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्वनिर्धारित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा; जिसमें पर्यावरण-पर्यटन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा स्थल विशिष्ट संवीक्षा और निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए होटल, रिसॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और समय-समय पर संशोधित उपबंधों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके संशोधनों के अनुसार की जाएगी।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा, -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान एवं प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के माध्यम से प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर विनिर्दिष्ट स्थल पर किया जा सकता है।

(ख) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में चिन्हित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना समय-समय पर संशोधित, स. सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित; अधिसूचना स. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित अधिसूचना स. सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016 , समय-समय पर संशोधित; के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण -** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**- (क) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषेध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986का 29), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972का 53), वन अधिनियम, 1927 (1927का 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980का 69) और अन्य लागू विधियों, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), 2011, पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और उसमें किए गए संशोधन तथा राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियम सम्मिलित हैं, के उपबंधों द्वारा शासित होंगी।

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**विवरण** **(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर घरों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और मौजूदा (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के पश्चात् के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में, समय समय पर यथा संशोधित, जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को

		अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों का संवर्धन किया जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी- संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या ठोस अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनाओं/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर किसी भी विमान या गर्म हवा के गुब्बारों से उड़ान भरना जैसी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप को करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमति नहीं की जाएगी: परंतु कि, बशर्ते कि पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा प्रतिष्ठानों के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, आंचलिक महायोजना के अधीन रहते हुए, होटल और रिसॉर्ट स्थापित किए जा सकते हैं।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी

		भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवासीय उपयोग हेतु अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं, जो भवन उपनियमों के अनुसार स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि: i. मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण; ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण; iii. प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग; iv. ग्राम शिल्पकारों सहित कुटीर उद्योग; गृहवास सहित पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन का संवर्धन करने वाली सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं; और v. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों का संवर्धन करना। परंतु कि, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलो मीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी और समय समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई सम्बद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों [वन अधिकार मान्यता] अधिनियम, 2006 के अधीन विनियमित।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक

		सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण के साथ शमन के उपाय करना।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति दी गई है।
22.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की कड़ाई से निगरानी और विनियमित की जानी चाहिए।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी- पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पॉलीथिन बैग का उपयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पॉलीथीन बैग का उपयोग अनुमत है। हालांकि, विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।

33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि का संवर्धन किया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- निगरानी समिति.- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा एक समिति का गठन करती है जिसे निगरानी समिति कहा जाएगा, जो इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त उप-पैराग्राफ (1) में विनिर्दिष्ट निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i)	जिला कलेक्टर, त्रिशूर, पलक्कड़	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, त्रिशूर	सदस्य;
(iii)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केरल राज्य विद्युत बोर्ड/केरल जल प्राधिकरण/केरल राज्य सिंचाई विभाग/केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(vi)	वन्यजीव संरक्षक, पिची वन्यजीव प्रभाग	सदस्य–सचिव, पदेन;

6. निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र:

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनर्गठन तक का होगा और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति के सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(6) निगरानी समिति मामला-दर मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायत के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को अनुलग्नक–V प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/96/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

अनुलग्नक-Iक

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	सीमा रेखा मंगल्टुकोम्बन से लगभग 1.2 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित एक स्टेशन से शुरू होती है, जो त्रिशूर और मुकुंदपुरम की अंतर-तालुक सीमा के साथ-साथ चलती है और पूर्व की ओर इसी सीमा के समानांतर आगे बढ़ती है तथा त्रिशूर और पलक्कड़ की जिला सीमा से पोनमुडी में 3045 फीट की ऊंचाई पर मिलती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा रेखा त्रिशूर और पलक्कड़ की अंतर-जिला सीमा के साथ-साथ चलती है और पुमलाई में 3665 फीट की ऊंचाई पर पहुँचती है, जो 1930 फीट, 2839 फीट, 1702 फीट, 3045 फीट, 2685 फीट और 2534 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है, और फिर यह रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलती है और कवलई ढलान से लगभग आधा किलोमीटर पश्चिम में मुंडावलीचल से मिलती है, जो 1750 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है।
दक्षिण	इसके बाद सीमा रेखा मुदुवरचल के उत्तर से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह धारा मुप्लीपुझा नदी से नहीं मिल जाती, और फिर मुप्लीपुझा के उत्तरी किनारे के साथ-साथ तब तक चलती है जब तक कि यह मुप्ली से लगभग 1 किमी ऊपर की ओर एक बिंदु पर नहीं पहुंच जाती, जहां वलकाट्टुथोडु नदी मुप्लीपुझा से मिलती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा वालकट्टुथोडु के दक्षिणी तट के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 1.5 किमी तक चलती है और फिर उत्तर-पूर्व दिशा में 250 फीट की ऊंचाई पर पहुँचती है, फिर सीमा उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 1 किमी तक चलती है और फिर उत्तर-पश्चिम दिशा में तब तक चलती है जब तक कि यह चिम्मोनीपुझा तक नहीं पहुँच जाती, जो अनाईपदम से चिम्मोनीपुझा के ऊपर की ओर लगभग 2.50 किमी की दूरी पर स्थित है, और 1070 फीट, 1250 फीट और 1327 फीट की ऊंचाई वाले बिंदुओं से गुजरती है और एक परवलयिक आकृति बनाती है। इसके बाद सीमा चिम्मोनीपुझा के दक्षिणी तट के साथ पूर्व की ओर लगभग 3 किमी तक चलती है, जब तक कि यह 135 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिम्मोनी तक नहीं पहुंच जाती, और फिर सीमा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलती है और क्षेत्र की उत्तरी सीमा के आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है।

अनुलग्नक-Iख

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	सीमा रेखा पीची-वाझानी और चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्यों की साझा सीमा, मगट्टुकोम्बन पर स्थित जीपीएस बिंदु संख्या 1 (उ10° 28’11.9” और पू076° 25’06.9”) से शुरू होती है और अभयारण्य की सीमा के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए पोनमुडी स्थित जीपीएस बिंदु 2 (उ100 29’05.2”, पू76028’47.1”) से मिलती है, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है।
पूर्व	इसके बाद सीमा दक्षिणपूर्व दिशा की ओर अभयारण्य की सीमा से 200 मीटर दूर करुमलामुडी (अलथुर रेंज, चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य और परम्बिकुलम त्रिविम का जंक्शन) तक जाती है, जीपीएस बिंदु 3 (उ10026’00.0”, पू76033’35.1”), यहाँ पूर्वी तरफ तीव्र ढलान के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 200 मीटर है।

दक्षिण पूर्व	यहां से, सीमा अभयारण्य की सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलती है जब तक वह कवाला, जीपीएस बिंदु 4 (उत्तर 10023'02.2", पूर्व 76032'03.3") तक नहीं पहुंच जाती, यहां अभयारण्य परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।
दक्षिण	इसके बाद, सीमा पूर्व की ओर परियारम और वेल्लिकुलंगारा की पुरानी पर्वत श्रृंखला सीमा के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह कन्ननकुझितोडु, जीपीएस बिंदु 5 (उ10022'50.8", पू76033'12.8") से नहीं मिलती, यहाँ से सीमा दक्षिण की ओर कन्ननकुझितोडु के पश्चिमी तट के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह कोरंगनपारा के पास जीपीएस बिंदु 6 (उ10019'32.6", पू76033'20.5") तक नहीं पहुँच जाती। यहां से सीमा पश्चिम की ओर ट्रेकिंग पथ के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह रंदुकाई जीपीएस बिंदु 7 (उ10020'56.9", पू76028'10.5") तक नहीं पहुंच जाती। यहां से, सीमा आगे पश्चिम की ओर आरक्षित वन सीमा के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह एरुंगना, जीपीएस बिंदु 8 (उ10021'29.7, पू76025'17.7) तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद, सीमा वेल्लिकुलंगारा और परियारम पर्वतमाला की सीमाओं के साथ उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है, जब तक कि यह सस्थम्पूवम (10°21'58.03"उ, 76°26'41.37"पू) से नहीं मिल जाती। इस खंड में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 2.08 किमी से 7.07 किलोमीटर तक है।
दक्षिण पश्चिम	यहां से सीमा अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर दूर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और जीपीएस बिंदु 9 (उ10023'35.6", पू76025'13.5") तक पहुंचती है।
पश्चिम	इसके बाद, सीमा मुप्ली पुझा के पूर्वी तट के साथ-साथ चलती है, जब तक कि वह उस बिंदु तक नहीं पहुँच जाती जहाँ चिम्मोनी पुझा और मुप्ली पुझा का संगम होता है। यहाँ से, सीमा चिम्मोनी पुझा के दक्षिणी तट के साथ-साथ चलती है जब तक कि वह जीपीएस बिंदु 10, पंप हाउस (उ10025'49.8", पू76023'53.7") तक नहीं पहुँच जाती। यहां से सीमा जीपीएस बिंदु 11 (उ10026'09.7", पू76023'39.5") चीनी कुन्नू की ओर बढ़ती है, फिर वहां से सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में तब तक चलती है जब तक वह जीपीएस बिंदु 12 (उ10026'44.1", पू76023'38.7") वलियाकुलम तक नहीं पहुंच जाती। यहां से सीमा उत्तर दिशा में धारा के साथ-साथ चलती हुई जीपीएस बिंदु 13 (उ10027'15.2", पू76023'51.2") मुत्तलकप्पुकद तक जाती है। यहां से सीमा पश्चिम दिशा में आरक्षित वन सीमा के साथ-साथ नादम्पदम, जीपीएस बिंदु 14 (उ10027'21.0", पू76022'11.8") तक जाती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा में तालुक सीमा के साथ-साथ प्रारंभिक बिंदु तक जाती है। यहां आरक्षित वन क्षेत्र की चौड़ाई 1.94 से 7.50 किमी तक है।

अनुलग्नक IIक

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, साथ ही भारतीय सर्वेक्षण के स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर।

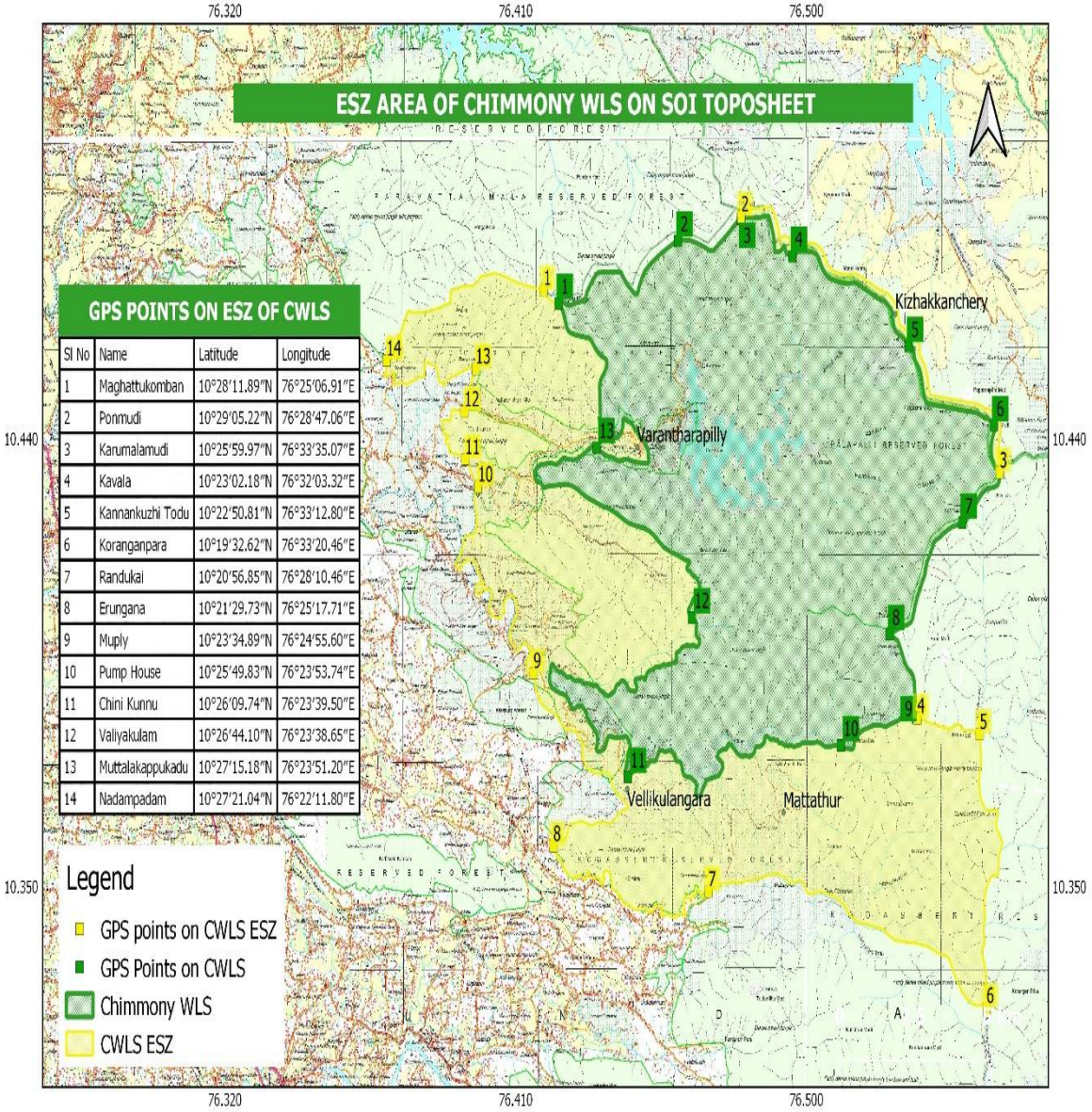

अनुलग्नक II ख

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, गूगल अर्थ उपग्रह छवि पर प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ।

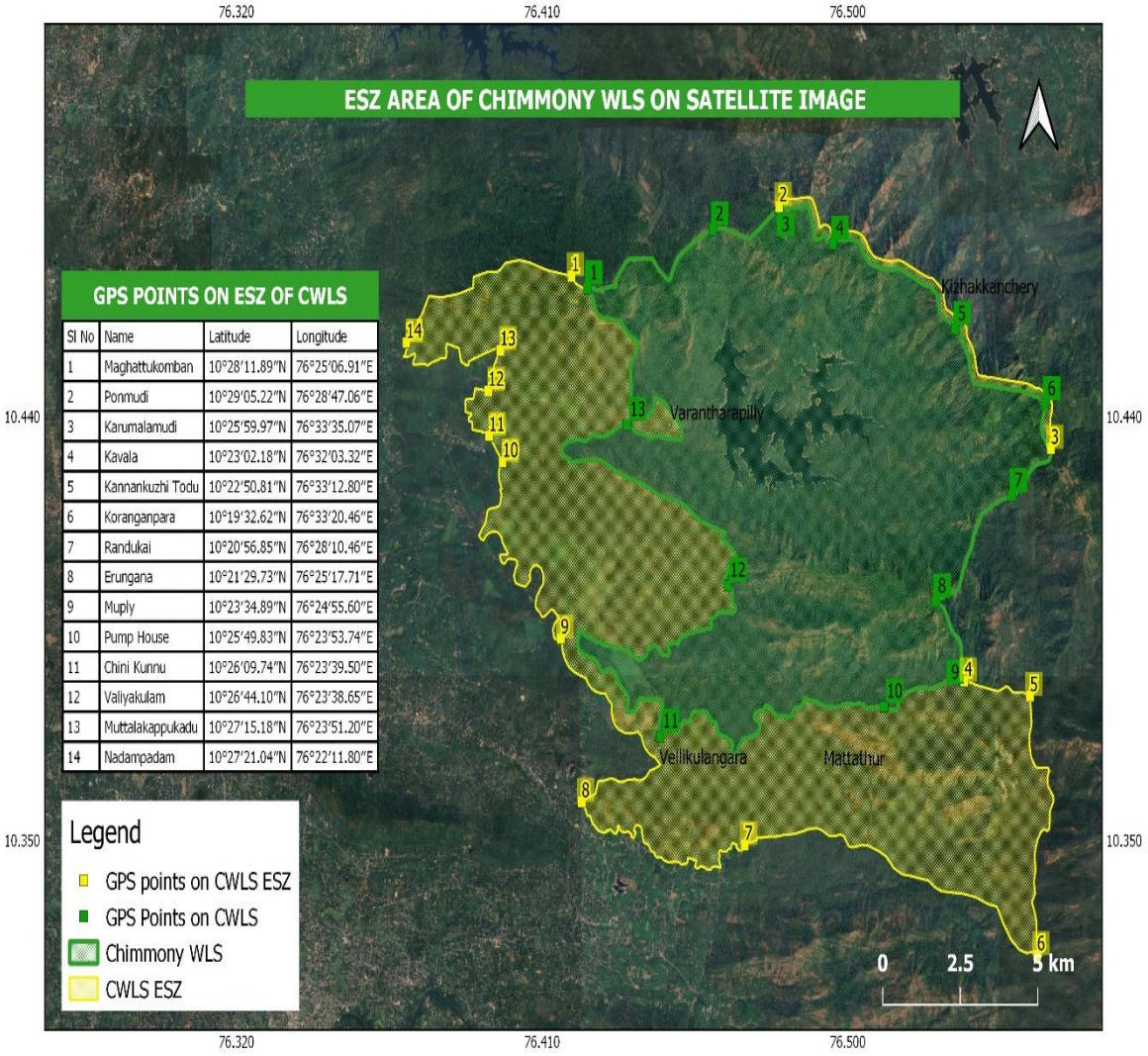

अनुलग्नक II ग

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य का स्थान मानचित्र

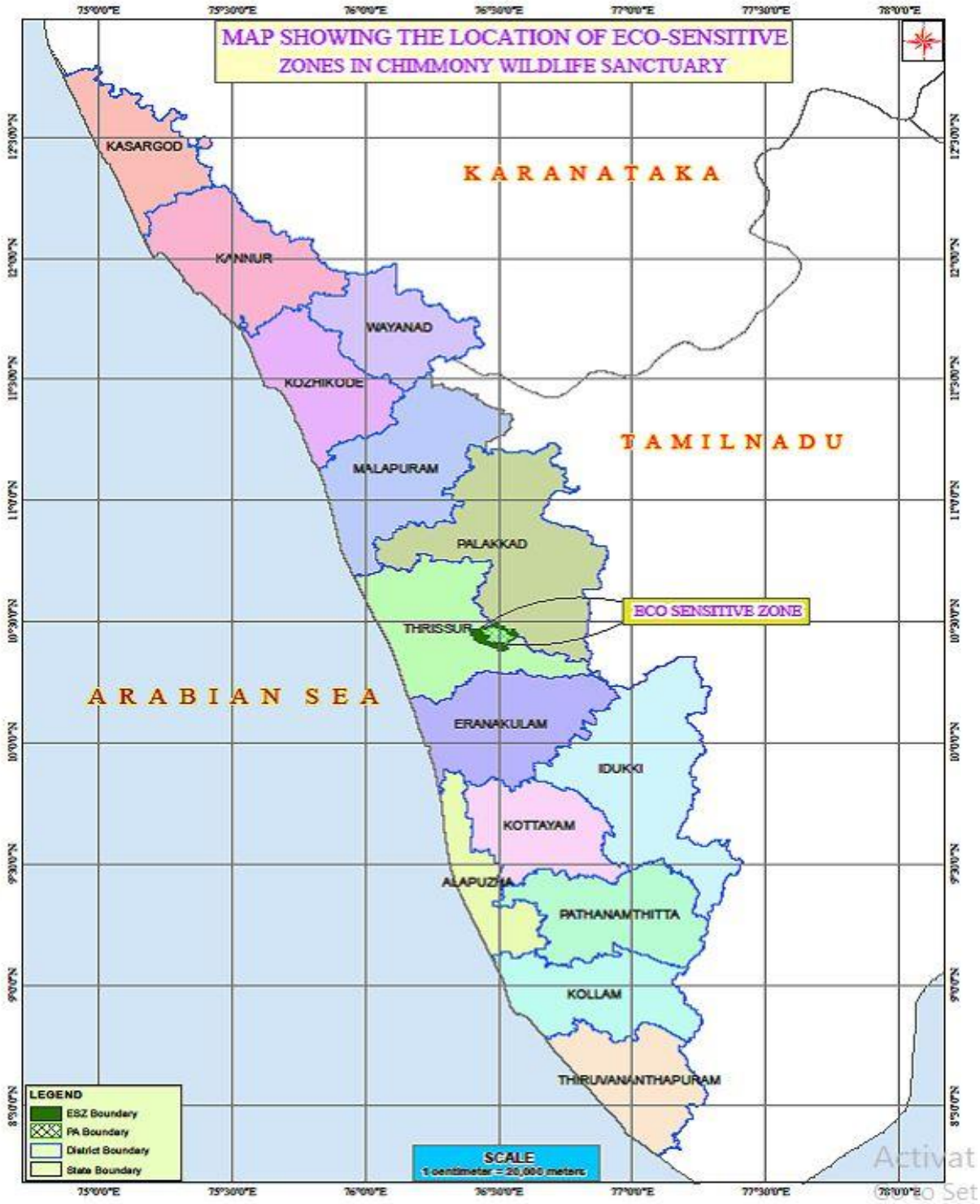

अनुलग्नक IIIक

सारणी क : मानचित्र पर दर्शाए गए चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ स्थित प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख स्थानों का स्थान/दिशा	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (डीएमएस प्रारूप)
1.	मंगट्टुकोम्बन	उत्तर	10°28′02.57″उ	76°25′23.25″पू
2.	ओलाकारकावा	उत्तर	10°28′47.71″उ	76°27′36.59″पू
3.	पोनमुडी	उत्तर	10°29′03.88″उ	76°28′46.61″पू
4.	मंगलमकवा	पूर्व	10°28′36.57″उ	76°29′44.05″पू
5.	वेल्लीमुडी	पूर्व	10°27′31.45″उ	76°31′53.44″पू
6.	करुमलामुडी	पूर्व	10°26′34.04″उ	76°33′28.55″पू
7.	इवाथी	दक्षिण पूर्व	10°25′23.78″उ	76°32′53.42″पू
8.	पुंडीमुडी	दक्षिण पूर्व	10°24′03.11″उ	76°31′32.45″पू
9.	कवला	दक्षिण पूर्व	10°23′02.40″उ	76°32′02.01″पू
10.	अनपन्थम	दक्षिण पूर्व	10°22′42.69″उ	76°30′38.04″पू
11.	करिकादावु	दक्षिण	10°22′19.84″उ	76°26′40.81″पू
12.	चनीमावु	दक्षिण	10°24′15.23″उ	76°27′51.81″पू
13.	वल्लिकादु	पश्चिम	10°26′18.19″उ	76°26′05.77″पू

अनुलग्नक III ख

सारणी ख : मानचित्र पर दर्शाए गए चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ स्थित प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख स्थानों का स्थान/दिशा	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (डीएमएस प्रारूप)
1.	मघत्तुकोम्बन	उत्तर	10°28′11.9″उ	76°25′06.9″पू
2.	पोनमुडी	उत्तर	10°29′05.2″उ	76°28′47.1″पू
3.	करुमलामुडी	पूर्व	10°26′00.0″उ	76°33′35.1″पू
4.	कवला	दक्षिण पूर्व	10°23′02.2″उ	76°32′03.3″पू
5.	कन्ननकुझी तोडु	दक्षिण	10°22′50.8″उ	76°33′12.8″पू
6.	कोरंगनपारा	दक्षिण	10°19′32.6″उ	76°33′20.5″पू
7.	रंडुकाई	दक्षिण	10°20′56.9″उ	76°28′10.5″पू
8.	एरुंगना	दक्षिण	10°21′29.7″उ	76°25′17.7″पू
9.	मुपली	दक्षिण पश्चिम	10°23′34.9″उ	76°24′55.6″पू
10.	पम्प हाउस	पश्चिम	10°25′49.8″उ	76°23′53.7″पू
11.	चीनी कुन्नू	पश्चिम	10°26′09.7″उ	76°23′39.5″पू
12.	वलियाकुलम	पश्चिम	10°26′44.1″उ	76°23′38.7″पू
13.	मुत्तलकाप्पुकाडु	पश्चिम	10°27′15.2″उ	76°23′51.2″पू
14.	नदमपदम	पश्चिम	10°27′21.0″उ	76°22′11.8″पू

अनुलग्नक IV

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची, भौगोलिक निर्देशांक सहित

क्र.स.	गाँव का नाम	गाँव के प्रकार	तालुका	जिला	जीपीएस निर्देशांक	
					अक्षांश	देशांतर
1.	वरंथरापिल्ली	राजस्व	चलाकुडी	त्रिशूर	10°26′18.38″उ	76°26′51.13″पू
2.	किझाक्कनचेरी	राजस्व	अलाथुर	पलक्कड़	10°27′54.86″उ	76°31′38.75″पू
3.	मत्ताथुर	राजस्व	चलाकुडी	त्रिशूर	10°21′54.08″उ	76°29′34.24″पू
4.	वेल्लिकुलंगरा	राजस्व	चलाकुडी	त्रिशूर	10°22′11.03″उ	76°26′40.05″पू

अनुलग्नक-V

चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निगरानी समिति द्वारा कार्रवाई की गई रिपोर्ट का प्रारुप : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन) वार। ब्यौरें उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

S.O. 2654(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira

Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Chimmony Wildlife Sanctuary is located in the Chalakkudy taluk (formerly known as Mukundapuram taluk) of Thrissur district in the State of Kerala. It is spread over an area of 114.60 sq. km and lies between 10°29'5.9892" N to 10°22'5.7072" N latitudes and 76°24'56.754" E to 76°33'38.6424" E longitudes.

AND WHEREAS, the Chimmony Wildlife Sanctuary was formed from Kodassery Reserve in Palappilly range of Chalakudy Forest Division *vide* G.O. (P) No. 259/84/AD, dated 25.08.1984. The sanctuary is an abode to 53 species of mammals, 182 species of birds, 46 species of reptiles, 38 species of amphibians, 31 species of fishes and invertebrate species such as butterflies (24 species), odonates (56 species) etc.

AND WHEREAS, the major flora found in and around Chimmony Wildlife Sanctuary include Pali (*Palaquium ellipticum*), Nangue (*Mesua ferrea*), Vediplavu (*Cullenia exarillata*), Kalpine (*Dipterocarpus indicus*), Kambakam (*Hopea parviflora*), Vellakil (*Dysoxylum malabaricum*), Vetti (*Aporosa lindleyana*), Thelly (*Canarium strictum*), Nasakam (*Melicope lunu-ankenda*), Kurangumanjal (*Mallotus philippensis*), Manjakadambu (*Haldina cordifolia*), Elavu (*Bombax ceiba*), Vembu (*Toona ciliate*), Njaval (*Syzygium cumini*), Vellilavu (*Lagerstroemia microcarpa*), Karuva (*Cinnamomum zeylanicum*), Nasakam (*Melicope lunuankenda*), Chenkolli (*Mallotus philippensis*), Maruthu (*Terminalia paniculate*), Karimaruthu (*Terminalia tomentosa*), Thanni (*Terminalia bellirica*), Chalavaka (*Albizia procera*), Pala (*Alstonia scholaris*), Veeti (*Dalbergia latifolia*), Vellilavu (*Lagerstroemia microcarpa*), Irul (*Xylia xylocarpa*), Kaini (*Bridelia retusa*), Pezhu (*Careya arborea*), Kannikonna (*Cassia fistula*), Punna (*Dillenia pentagyna*), and Bamboo (*Bambusa arundinacea*).

AND WHEREAS, the major fauna found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Wild dog (*Cuon alpinus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Elephant (*Elephas maximus*), Sambar Deer (*Rusa unicolor*), Spotted Deer (*Axis axis*), Barking Deer (*Muntiacus muntjac*), Mouse Deer (*Moschiola indica*), Bonnet macaque (*Macaca radiate*), Malabar Giant Squirrel (*Ratufa indica*), Indian Flying Fox (*Pteropus giganteus*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Asian Palm Civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Golden Jackal (*Canis aureus*), and Wild Boar (*Sus scrofa*), among many others.

AND WHEREAS, the major avifauna found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Little Cormorant (*Phalacrocorax niger*), Cattle Egret (*Bubulcus ibis*), Little Green Heron (*Bulorides striatus*), Oriental Honey-Buzzard (Pernis ptilorhynchus), Brahminy Kite (*Haliastur indus*), Black Eagle (*Ictinaetus malaiensis*), Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii*), River Tern (*Sterna aurantia*), Emerald Dove (*Chalcophaps indica*), Spotted Dove (*Spilopelia chinensis*), Mountain imperial pigeon (*Ducula badia*), Rose-ringed Parakeet (*Psittacula krameri*), Pied Crested Cuckoo (*Clamator jacobinus*), Large Hawk-Cuckoo (*Hierococcyx sparverioides*), Indian Cuckoo (*Cuculus micropterus*), Asian Koel (Eudynamys scolopaceus), Brown Hawk-Owl (*Ninox scutulata*), Alpine Swift (*Tachymarptis melba*), Small Blue Kingfisher (*Alcedo atthis*), Lesser Pied Kingfisher (Cervyle rudis), Crimson-throated Barbet (*Megalaima rubricapillus*), Rufuos Woodpecker (*Celeus brachyurus*), Common Golden- backed Woodpecker (*Dinopium javanense*), Dusky Crag-Martin (*Hirundo concolor*), Yellow Wagtail (*Molacilla flava*), Scarlet Minivet (*Pericrocotus flammeus*), Black-crested Bulbul (*Pycnonotus flaviventris*), Asian Fairy-Bluebird (*Irena puella*), Oriental Magpie-Robin (*Copsychus saularis*) Jungle Babbler (*Turdoides striata*), Greenish

Leaf-Warbler (*Phylloscopus trochiloides*), Rusty-tailed Flycatcher (*Muscicapa ruficauda*), Red-throated Flycatcher (*Ficedula parva*), Great Tit (*Parus major*), Indian Treepie (*Dendrocitta vagabunda*), and Jungle Crow (*Corvus macrorhynchos*), among many others.

AND WHEREAS, the major reptiles found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Indian Black Turtle (*Melanochelys trijuga*), Travancore Tortoise (*Indotestudo travancorica*), Common Green Forest Lizard (*Calotes calotes*), South Indian Rock Agama (*Psammophilus dorsalis*), Kollegal Ground Gecko (*Cyrtodactylus collegalensis*), Common Keeled Skink (*Eutropis carinata*), Spotted Supple Skink (*Lygosonia punctata*), Beddome's Cat Skink (*Ristella beddomii*), Brahminy Worm Snake (*Indotyphlops braminus*), Indian Rock python (*Python molurus*), Common Trinket Snake (*Coelognathus helena*), Common Kukri Snake (*Oligodon arnensis*), Common Wolf Snake (*Lycodon aulicus*), Common Indian Krait (*Bungarus caeruleus*), Russel's Viper (*Daboia russelii*), Malabar Pit Viper (*Trimeresurus malabaricus*), Checkered Keelback (*Fowlea piscator*), and Common Hump-nosed Pit Viper (*Hypnale hypnale*).

AND WHEREAS, the major amphibians found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Common Indian Toad (Duttaphrynus melanostictus), Skittering Frog (*Euphlyctis cyanophlyctis*), Indian Bullfrog (*Hoplobatrachus tigerinus*), Indian Burrowing Frog (*Sphaerotheca breviceps*), Ornate Narrow-mouthed Frog (*Microhyla ornata*), Purple Frog (*Nasikabatrachus sahyadrensis*), Fungoid Frog (*Hydrophylax malabarica*), Anamallais Leaping frog (*Indirana brachytarsus*), Common Indian Tree Frog (*Polypedates maculatus*), Water Drop Frog (Raorchestes nerostagona), Malabar Gliding Frog (*Rhacophorus malaharicus*), Variable Bush Frog (*Raorchestes akroparallagi*), Bicoloured Frog (*Clinotarsus curtipes*), and Darrel's Chorus Frog (*Microhyla darreli*), among many others.

AND WHEREAS, the major fishes found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Common Carp (*Cyprinus caprio communis*), Scarlet banded (*Puntis amphibious*), Giant danio (*Danio aequipinnatus*), Guenther's loach (*Nemacheilus guentheri*), Triangular banded (*Nemacheilus triangularis*), Denson's loach (*Nemacheilus denisoni*), Malabar loach (*Lepidocephalus thermalis*), Striped dwarf catfish (*Mystus vittalus*), Indian butter catfish (Ompok bimaculatus Bloch), Stinging catfish (Heteropnuestès fossilitus Bloch), and Fresh water garfish (*Xenentodon cancila Ham.*), among many others.

AND WHEREAS, the major butterflies found in the Chimmony Wildlife Sanctuary include Plain Cupid (*Luthrodes pandava*), Angled Pierrot (*Caleta decidia*), Common Cerulian (*Jamides celeno*), Common hedge blue (*Acytolepis puspa*), Common Bluebottle (*Graphium sarpedon*), Crimson rose (*Atrophaneura hector*), Common Emigrant (Catopsilia pomona), Chestnut streaked Sailer (*Neptis jumbah*), Blue Tiger (*Tirumala limniace*), Slate Flash (*Rapala manea*), Chestnut Angle (*Odontoptilum angulata*), Red Helen (*Papilio helenus*), Mottled Emigrant (*Catopsilia pyranthe*), and Chocolate Pansy (*Junonia iphita*), among several others.

AND WHEREAS, the forests of the sanctuary embracing the Chimmony Reservoir attains greatest conservation value by providing irrigation water to thousands of hectares of agricultural land in Thrissur District and hence the prime reason for protecting and developing the sanctuary for posterity.

AND WHEREAS, the sanctuary area mainly comprises of forests in the Chimmony valley on the western slopes of the Nelliampathies, which ensures ecological continuity of the Anamalai-Anamudi conservation unit, covering an area of 4705 sq. km. The sanctuary is part of the Anamudi Elephant Reserve in the State, with a total forest area of 3728 sq. km. with a density of 0.20 elephants/sq.km. The sanctuary is a representative example of the southern Western Ghats with scenic splendour. The Sanctuary has high potential for scientific research and conservation education.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Chimmony Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological,

environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying of 0 (zero) to 7.5 km around the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary in the State of Kerala as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 7.5 km around the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone is 102.73 sq. km. The extent of Eco-sensitive Zone at various directions is given below:

Direction	From the Boundary of the Protected Area (in km)
North	0
East	0.2
South East	0
South	2.08 - 7.07
South West	0.5
West	1.94 - 7.5

Justification for 0 (zero) ESZ: Towards north direction, ESZ is kept zero due to sharing of boundary with Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary. In the south-eastern direction, ESZ is kept zero due to sharing of boundary with Parambikulam Tiger Reserve.

(2) The boundary description of Chimmony Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone is appended as Annexure-IA and Annexure-IB.

(3) The maps of Eco-sensitive zone of Chimmony Wildlife Sanctuary are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone is appended as Annexure-IIIA & Annexure-IIIB.

(5) The list of villages falling in the proposed eco-sensitive zone is given in Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for the Chimmony Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone.

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

vii) Irrigation;

viii) Local Self Government Department;

ix) Public Works Department;

x) State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of the local communities

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) **Land use. -** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purpose in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agriculture and other land within the ESZ for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring committee and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of the existing roads and construction of new roads;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution
(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
(v) Promoted activities and given under para 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provision of the article 224 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records with in the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said errors shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agriculture areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.** - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the zonal master plan.

(3) **Tourism or Eco-Tourism.** - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the eco sensitive zone;

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment, Forests and Wildlife, in association with State Department of Tourism, Government of Kerala;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Chimmony Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of the 1 km from the boundaries of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in predefined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

iii. until the zonal master plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities in the Eco-Sensitive Zone areas falling outside forest lands shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the monitoring committee and no new hotels/ resorts or commercial establishment construction is permitted within Eco-Sensitive Zone Area.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master plan.

(5) **Man-made Heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution. -** Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluents in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-

a. The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343(E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management. -** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E) , dated the 29th March, 2016 as amended from time to time.

(13) **E-Waste. -** The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular Traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in the regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular pollution. -** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial units.-**

a. On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

b. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per Classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

a. the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

b. no construction on existing steep hill slopes or slopes with higher degree of erosion shall be permitted.

4. List of Activities Prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.-

All activities in the Eco-Sensitive Zone of Chimmony Wildlife Sanctuary shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Forest Act, 1927 (16 of 1927), Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and other applicable laws including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011, Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, and amendments made thereto and other Acts prevalent in the State. The forest area coming under the Eco-sensitive Zone will remain to be governed under existing forest laws and amendments made thereto. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining	a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for

		construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, noise, etc.,)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per Classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 and as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3	Establishment of major hydroelectric project	Prohibited as per applicable laws.
4	Use, production, or processing of any hazardous substances.	Prohibited as per applicable laws.
5	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within Eco-sensitive Zone. Further, installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zones.
8.	Setting up of brick kilns	Prohibited as applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited as applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons.	Prohibited as applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundaries of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to

		Eco-friendly tourism activities: Provided that new tourist activities or extension of existing establishments may be allowed in accordance with Tourism Master Plan and guidelines as applicable. However, beyond one kilometre from the boundary of the protected areas up to the extent of the Eco-sensitive Zones establishment of hotels and resorts may be done subject to the Zonal Master Plan.
10.	Construction Activities	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundaries of the protected areas or up to the extent of Eco-sensitive Zone or whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residence such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution; iv. Cottage industries including village artisans; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism; and v. Promoted activities listed in this notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. vi. Beyond one kilometre, it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale Non-polluting industries	Non-polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and as amended from time to time and non-hazards, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
12.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.

13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP)	Regulated as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers [Recognition of Forest Rights] Act, 2006.
14.	Erection of electrical cables and communication towers.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling method.
15.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Protection of Hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with diaries, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws.
21.	Discharge of untreated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open well, Bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management	Regulated under applicable law.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable law.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable law.
27.	Use of polythene bags	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable law.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and	Shall be actively promoted.

	fuels	
34.	Agro - Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called as the Monitoring Committee, to monitor and ensure the compliance with the provisions of this notification. The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Thrissur, Palakkad	Chairman;
(ii)	The District Panchayat President, Thrissur	Member;
(iii)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board/Kerala State Electricity Board/Kerala Water Authority/Kerala State Irrigation Department / Kerala State Environment Department	Members;
(iv)	Representative of Non-Governmental Organization working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	The Wildlife Warden, Peechi Wildlife Division	Member Secretary.

6. Terms of Reference of the Monitoring Committee -

(1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the re constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, and are falling in Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under

paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authority.

(5) The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or representative from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given Annexure-V, appended to this notification.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such direction, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional measures.** - The Central Government and State government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provision of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.** - The provision of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/96/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist ‘G’

Annexure IA

Boundary description of Chimmony Wildlife Sanctuary

Direction	Description
North	The boundary lines starts from a station at about 1.2 km north-east of Mangattukomban along the inter taluk boundary of Thrissur and Mukundapuram and runs along the above said boundary towards east and meets with the district boundary of Thrissur and Palakkad, at Ponmudi at a height point of 3045 ft.
East	Thence the boundary line runs along the inter district boundary of Thrissur and Palakkad and reaches at Pumalai at a height point of 3665' passing height 1930', 2839', 1702', 3045', 2685' and 2534' and thence the line runs towards south-west direction and meets with Mundavalichal at about ½ km west of Kavalai incline passing height point of 1750'.
South	Thence the boundary line runs along the north of Muduvarachal towards southwest direction till the above chal meets with the Muplipuzha and thence along the northern bank of Muplipuzha till it reaches a station at about 1 km upstream of Mupli where Valkattuthodu joins with Muplipuzha.
West	Thence the boundary runs along the southern bank of Valkattuthodu towards southeast direction for a distance of about 1.5 km and thence to northeast direction and reaches at height point of 250' and then the boundary runs towards northeast direction for about 1 km. and thence towards northwest direction till it reaches at Chimmonypuzha at about 2.50 km. upstream of Chimmonypuzha from Anaipadam passing height points 1070', 1250' and 1327' and forming in a Parabolic shape. Thence the boundary runs along the southern bank of the Chimmonypuzha towards east for about 3 km. till it reaches at Chimmony at a height point of 135' and thence the boundary runs towards northwest direction and reaches at the starting point of the northern boundary of the area.

Annexure IB

Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone of Chimmony Wildlife Sanctuary

Direction	Description
North	The boundary lines starts from the GPS point No. 1 (N10° 28'11.9" and E076° 25'06.9") on the Maghattukomban, common boundary of Peechi- Vazhani and Chimmony Wildlife Sanctuaries and runs towards the east along the Sanctuary boundary to meets Ponmudi, GPS point 2 ($N10^0$ 29'05.2", $E76^0$28'47.1"), here the width of Eco-sensitive zone is Zero.
East	Thence the boundary runs towards the southeast direction, 200 meters away from the Sanctuary boundary till it reaches Karumalamudi (tri-junction of Alathur Range, Chimmony WLS & Parambikulam TR), GPS point 3 ($N10^0$26'00.0", $E76^0$33'35.1"), here the width of ESZ is 200 meters, due to the steep slope towards eastern side.
South East	From here, the boundary runs towards the southwest direction along the Sanctuary boundary till it reaches Kavala, GPS point 4 (N $10^0$23'02.2", $E76^0$32'03.3"), here, the Sanctuary share its boundary with Parambikulam Tiger Reserve, hence the extent of ESZ is Zero.
South	Thence, the boundary runs towards east along the old range boundary of Pariyaram and Vellikulangara till it meets Kannankuzhitodu, GPS point 5 ($N10^0$22'50.8", $E76^0$33'12.8"), from here the boundary runs towards south along the western bank of Kannankuzhitodu till it reaches GPS point 6 ($N10^0$19'32.6", $E76^0$33'20.5") near to Koranganpara. From here, the boundary runs towards the west along the trek path till it reaches Randukai GPS point 7 ($N10^0$20'56.9", $E76^0$28'10.5"). From here, the boundary further runs towards the west along the Reserve Forest boundary till it reaches Erungana, GPS point 8 ($N10^0$21'29.7. $E76^0$25'17.7). Thence, the boundary runs towards the northeast direction along the range boundaries of Vellikulangara and Pariyaram, till it meets the Sasthampoovam (10°21'58.03"N, 76°26'41.37"E). In this stretch, the width of the ESZ ranges from 2.08 km to 7.07 kilometres.
South West	From here, the boundary runs towards the northwest direction 500 meters away from the Sanctuary boundary till it reaches GPS point 9 ($N10^0$23'35.6", $E76^0$25'13.5").
West	Thence, the boundary runs along the eastern bank of Mupli Puzha, till it reaches the point where Chimmony Puzha confluence Mupli Puzha. From here, the boundary runs along the southern bank of Chimmony Puzha till it reaches GPS point 10, Pump house ($N10^0$25'49.8", $E76^0$23'53.7"). From here the boundary runs towards GPS point 11 ($N10^0$26'09.7", $E76^0$23'39.5") Chini Kunnu, thence the boundary runs towards the northwest direction along the reserve forest boundary till it reaches GPS point 12 ($N10^0$26'44.1", $E76^0$23'38.7") Valiyakulam. From here the boundary runs towards the north along the stream till it reaches GPS point 13 ($N10^0$27'15.2", $E76^0$23'51.2") Muttalakappukad. From here, the boundary runs towards the west direction along the Reserve forest boundary till it reaches Nadampadam, GPS point 14 ($N10^0$27'21.0", $E76^0$22'11.8"). Thence the boundary runs towards the east direction along the taluk boundary till it reaches the starting point, Here the width of the ESZ ranges from 1.94 to 7.50 km.

Annexure IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA TOPO SHEET

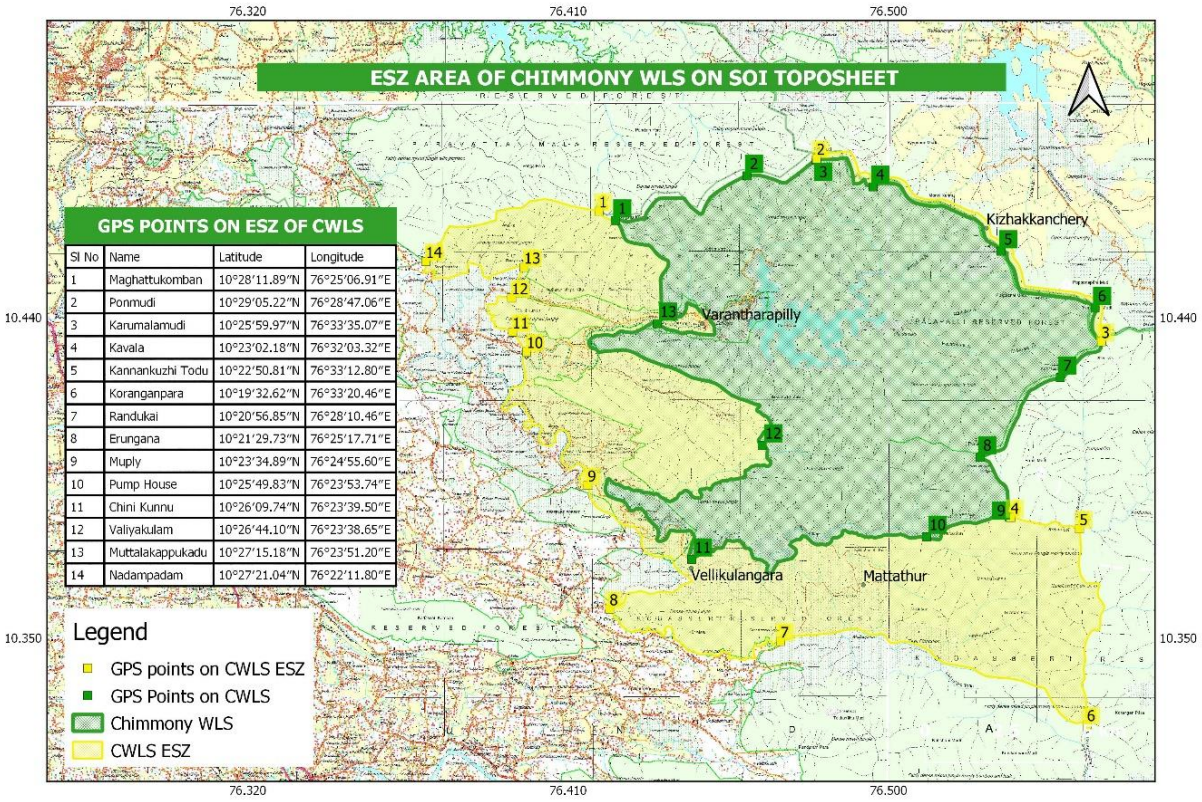

GPS POINTS ON ESZ OF CWLS

Sl No	Name	Latitude	Longitude
1	Maghattukomban	10°28'11.89"N	76°25'06.91"E
2	Ponmudi	10°29'05.22"N	76°28'47.06"E
3	Karumalamudi	10°25'59.97"N	76°33'35.07"E
4	Kavala	10°23'02.18"N	76°32'03.32"E
5	Kannankuzhi Todu	10°22'50.81"N	76°33'12.80"E
6	Koranganpara	10°19'32.62"N	76°33'20.46"E
7	Randukai	10°20'56.85"N	76°28'10.46"E
8	Erungana	10°21'29.73"N	76°25'17.71"E
9	Muply	10°23'34.89"N	76°24'55.60"E
10	Pump House	10°25'49.83"N	76°23'53.74"E
11	Chini Kunnu	10°26'09.74"N	76°23'39.50"E
12	Valiyakulam	10°26'44.10"N	76°23'38.65"E
13	Muttalakappukadu	10°27'15.18"N	76°23'51.20"E
14	Nadampadam	10°27'21.04"N	76°22'11.80"E

Annexure IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGE

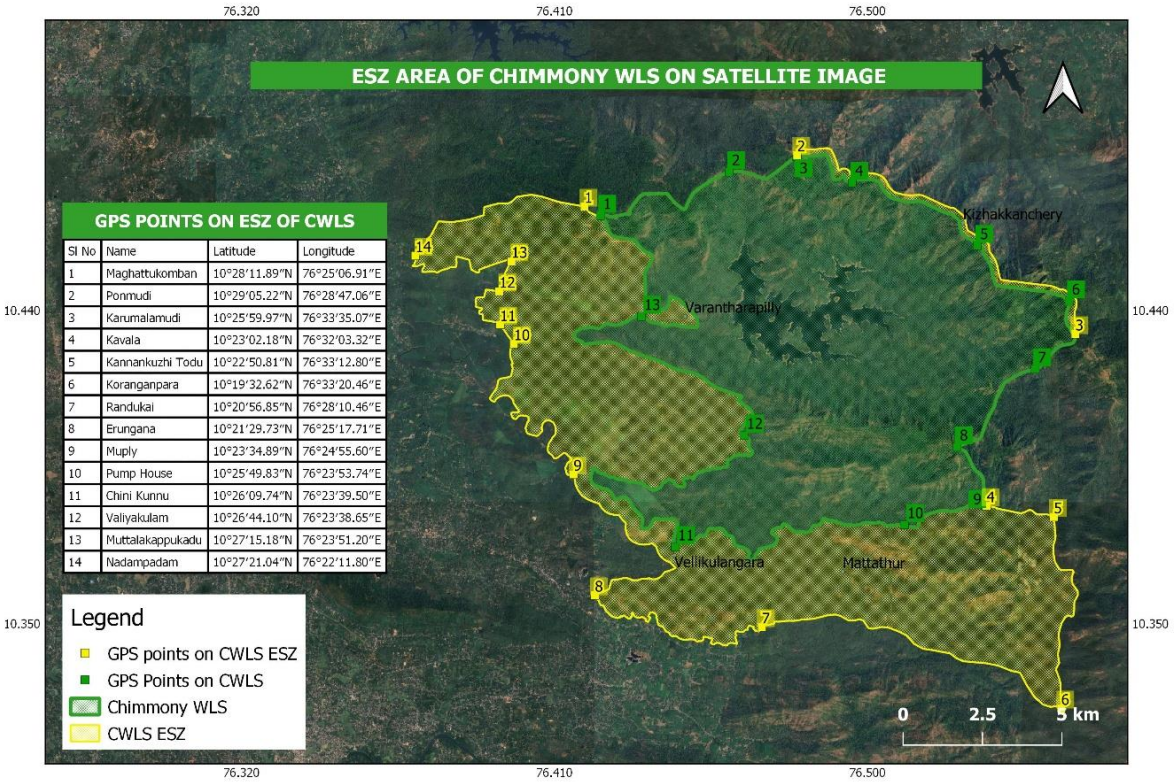

GPS POINTS ON ESZ OF CWLS

Sl No	Name	Latitude	Longitude
1	Maghattukomban	10°28'11.89"N	76°25'06.91"E
2	Ponmudi	10°29'05.22"N	76°28'47.06"E
3	Karumalamudi	10°25'59.97"N	76°33'35.07"E
4	Kavala	10°23'02.18"N	76°32'03.32"E
5	Kannankuzhi Todu	10°22'50.81"N	76°33'12.80"E
6	Koranganpara	10°19'32.62"N	76°33'20.46"E
7	Randukai	10°20'56.85"N	76°28'10.46"E
8	Erungana	10°21'29.73"N	76°25'17.71"E
9	Muply	10°23'34.89"N	76°24'55.60"E
10	Pump House	10°25'49.83"N	76°23'53.74"E
11	Chini Kunnu	10°26'09.74"N	76°23'39.50"E
12	Valiyakulam	10°26'44.10"N	76°23'38.65"E
13	Muttalakappukadu	10°27'15.18"N	76°23'51.20"E
14	Nadampadam	10°27'21.04"N	76°22'11.80"E

Annexure IIC

LOCATION MAP OF THE CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY

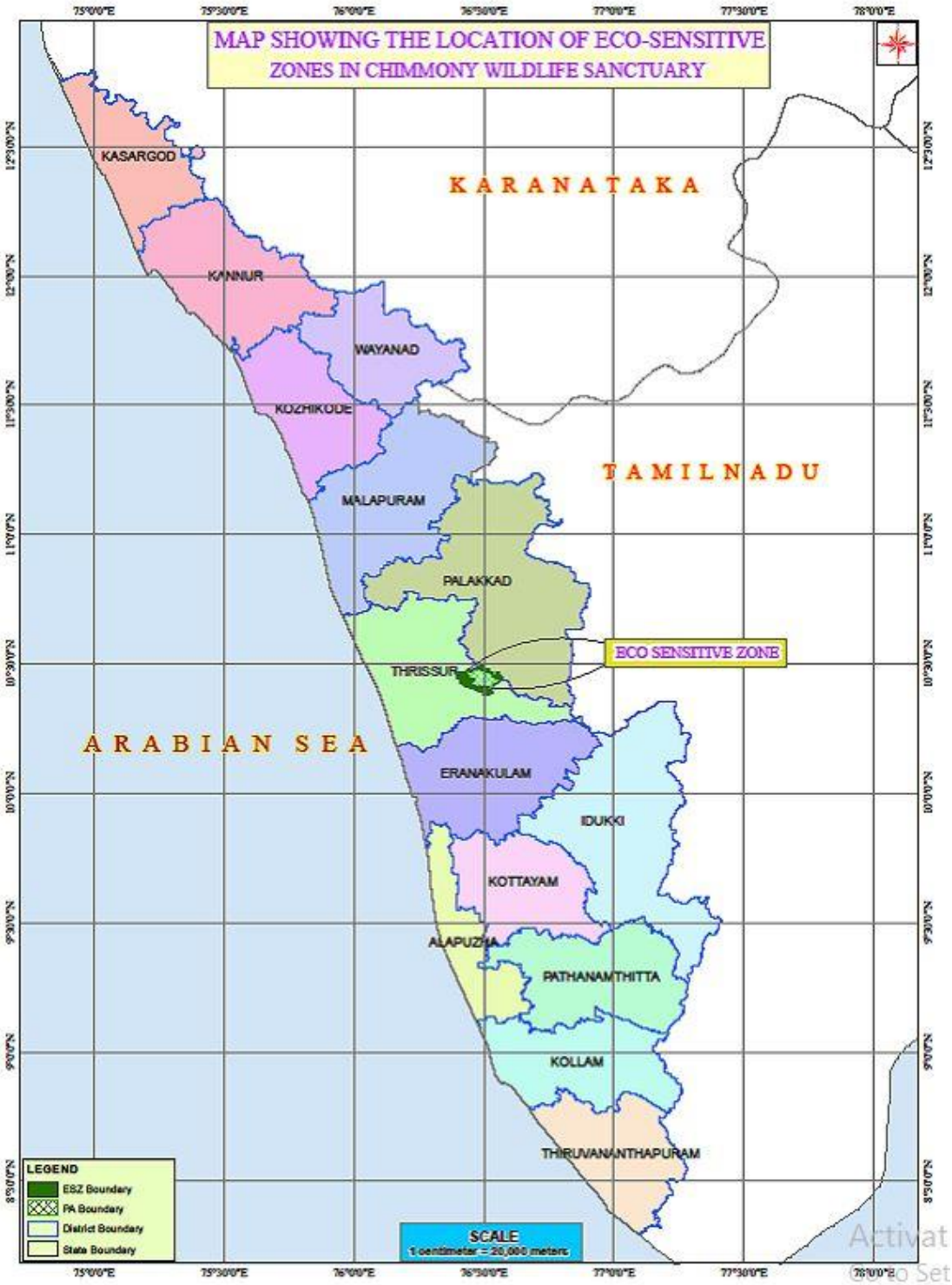

Annexure IIIA

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY SHOWN ON MAP

Sl. No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude (DMS Format)	Longitude (DMS Format)
1.	Manghattukomban	North	10°28′02.57″N	76°25′23.25″E
2.	Olakarakava	North	10°28′47.71″N	76°27′36.59″E
3.	Ponmudi	North	10°29′03.88″N	76°28′46.61″E
4.	Mangalamkava	East	10°28′36.57″N	76°29′44.05″E
5.	Vellimudi	East	10°27′31.45″N	76°31′53.44″E
6.	Karumalamudi	East	10°26′34.04″N	76°33′28.55″E
7.	Ivathi	South East	10°25′23.78″N	76°32′53.42″E
8.	Pundimudi	South East	10°24′03.11″N	76°31′32.45″E
9.	Kavala	South East	10°23′02.40″N	76°32′02.01″E
10.	Anapantham	South	10°22′42.69″N	76°30′38.04″E
11.	Karikadavu	South	10°22′19.84″N	76°26′40.81″E
12.	Chanimavu	West	10°24′15.23″N	76°27′51.81″E
13.	Vallikadu	West	10°26′18.19″N	76°26′05.77″E

Annexure IIIB

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATION ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY SHOWN ON MAP

Sl. No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude (DMS Format)	Longitude (DMS Format)
1.	Maghattukomban	North	10°28′11.9″N	76°25′06.9″E
2.	Ponmudi	North	10°29′05.2″N	76°28′47.1″E
3.	Karumalamudi	East	10°26′00.0″N	76°33′35.1″E
4.	Kavala	South East	10°23′02.2″N	76°32′03.3″E
5.	Kannankuzhi Todu	South	10°22′50.8″N	76°33′12.8″E
6.	Koranganpara	South	10°19′32.6″N	76°33′20.5″E
7.	Randukai	South	10°20′56.9″N	76°28′10.5″E
8.	Erungana	South	10°21′29.7″N	76°25′17.7″E
9.	Muply	South West	10°23′34.9″N	76°24′55.6″E
10.	Pump House	West	10°25′49.8″N	76°23′53.7″E
11.	Chini Kunnu	West	10°26′09.7″N	76°23′39.5″E
12.	Valiyakulam	West	10°26′44.1″N	76°23′38.7″E
13.	Muttalakappukadu	West	10°27′15.2″N	76°23′51.2″E
14.	Nadampadam	West	10°27′21.0″N	76°22′11.8″E

Annexure IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluka	District	GPS Co-ordinates	
					Latitude	Longitude
1.	Varantharapilly	Revenue	Chalakkudy	Thrissur	10°26′18.38″N	76°26′51.13″E
2.	Kizhakkanchery	Revenue	Alathur	Palakkad	10°27′54.86″N	76°31′38.75″E
3.	Mattathur	Revenue	Chalakkudy	Thrissur	10°21′54.08″N	76°29′34.24″E
4.	Vellikulangara	Revenue	Chalakkudy	Thrissur	10°22′11.03″N	76°26′40.05″E

Annexure V

Proforma of Action Taken Report- Chimmony Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2016.06.02 23:16:51 +05'30'